अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 08 / 2021–22

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत जमाबंदी सुधार वाद

अर्जीकारः– चन्द्र नारायण दत्त

प्रतिपक्षीः– हेमचन्द्र दत्त

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः– चन्द्र नारायण दत्त पे0 स्व0 रामेश्वर दत्त ग्राम+पोस्ट–रॉटी, थाना–राजनगर प्रतिपक्षीः– 1– हेमचन्द्र दत्त पिता स्व0 उपेन्द्र दत्त ग्रामःपोस्ट–रॉटी, थाना–राजनगर, जिला–मधुबनी।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
21.10.2021	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत वकालतन पक्ष एवं सुनवाई के आधार पर वाद को आदेशार्थ रखा गया। **आवेदक की ओर से प्रस्तुत पक्ष का संक्षिप्त विवरणः–** 1–आवेदक के नाम से चल रहे 0–4–0 (चार कट्ठा) जमीन का जमाबंदी संख्या– 10 खाता संख्या– 576 खेसरा संख्या– 570, 588 एवं 589 है और मौजा– रॉटी थाना व अंचल–राजनगर में अवस्थित है, जो 17.05.1981 को आवेदक को निबंधित दस्तावेज द्वारा प्राप्त हुआ और उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है किन्तु गलत ढ़ंग से 0–1–2 (एक कट्ठा दो धूर) जमीन प्रतिवादी के नाम से कायम जमाबंदी संख्या–3257 में दाखिल कर दिया गया है जिसे सुधार करते हुये आवेदक के जमाबंदी संख्या–10 में पुनः बहाल किया जाय। 2–जमाबंदी संख्या–10 में सन्निहित खेसरा संख्या–570, 588 एवं 589 के 0–4–0 (चार कट्ठा) भूमि में से कोई बिक्रीनामा नहीं किया गया है। 3–इस न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–32 / 17–18 दायर किया गया था जिसे जमाबंदी सुधार का मामला मानते हुये वाद की कार्यवाही को निष्पादित कर दिया गया था। 4– जमाबंदी सुधार हेतु यही न्यायालय सक्षम प्राधिकार है। इसलिए जमाबंदी को सुधार किया जाय। **प्रतिपक्षी हेमचन्द्र दत्त पिता स्व0 उपेन्द्र दत्त की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष का विवरणः–** 1–वर्णित जमाबंदी संख्या–10 के खेसरा नम्बर 570, 588 एवं 589 के 04 कट्ठा जमीन से प्रतिवादी कभी कोई अंश का खरीद नहीं किया और न कभी उसे अपने नाम दाखिल खारिज हेतु आवेदन या दावा किया। 2– प्रतिवादी को उक्त जमाबंदी संख्या–10 के 04 कट्ठा जमीन से कोई सरोकार नहीं है न उक्त जमीन पर या उसके किसी हिस्से पर प्रतिवादी का अधिकार व दावा है। 3– भूलवश जमाबंदी नं. 10 के खेसरा नम्बर 570, 588 एवं 589 के 04 कट्ठा जमीन से 00–01–02 (एक कट्ठा दो धूर) जमीन कट कर मेरे	

जमाबंदी में जोड़ दिया गया है जिसे सुधार किया जाना लाजमी व न्यायहित में है।

4– यदि वादी के जमाबंदी संख्या– 10 में घटे हुए उक्त 0–1–02 (एक कट्ठा दो धूर) जमीन को जोड़ कर उसे 0–04–0 (चार कट्ठा) रकवा पूरा कर जमाबंदी सुधार किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है।

आवेदक का आवेदन, प्रतिवादी का लिखित पक्ष का अवलोकन एवं परिसिलन से स्पष्ट है कि आवेदक के जमाबंदी संख्या–10 में सुधार की आवश्यकता है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पक्ष में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आवेदक के पूर्व से कायम जमाबंदी नं. 10 के प्रश्नगत खाता संख्या–10, खेसरा नम्बर 570, 588 एवं 589 के 00–04–00 (चार कट्ठा) जमीन में से प्रतिवादी के जमाबंदी संख्या–3257 में सन्निहित किये गये रकवा 00–01–02 (एक कट्ठा दो धूर) को विलोपित कर आवेदक के मूल जमाबंदी संख्या–10 में सन्निहित किये जाने हेतु सुधार की स्वीकृति दी जाती है। अंचल अधिकारी, आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी को आदेश अनुपालन हेतु भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से आदेश से दोनों पक्षों को विधिवत् अवगत करा देंगे।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम अपीलीय न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

21/1/24

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

21/1/24

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।